

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

कालीकंवर बनाम फाशीराम

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 157/2024

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

29/04/24

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री/श्रीमती कालीकंवर

पिता श्री शिवलिंग राजपुत

निवासी- धोरडिया (पण्ड. नगरी) बस्ती तहसील, व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम धोरडिया (पण्ड. नगरी) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 1924

कुल कीता 01 कुल रकबा 0.4800 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम धोरडिया (पण्ड. नगरी तह. बस्ती) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 1924

कुल कीता 01 रकबा 0.4800 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500/-00 रुपये अक्षरे पत्र से रकम प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(बिजू देवल)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)